भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3619

(जिसका उत्तर सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

जीएसटी परिषद

†3619. डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराजः

श्री भोला सिंहः

श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने केवल जीएसटी संख्या पंजीकृत करके, व्यापार प्रारंभ करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मुनाफाखोरी को नियंत्रित करने के लिए जीएसटी परिषद ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण की कार्याविधि को दो वर्ष और बढ़ाया है और ग्राहकों को जीएसटी का लाभ न देने वाली कंपनियों पर 10 प्रतिशत अर्थदंड लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अर्थदंड के मानकों को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या परिषद ने मल्टीप्लैक्स में चरणबद्ध इनवाइसिंग और ई-टिकटिंग के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण हेतु 'आधार' संख्या को स्वीकृत किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में वित्त राज्यमंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): जी नहीं। किसी कारोबार को शुरू करने की प्रक्रिया को जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण से स्वतंत्र रखा गया है।

(ख) तथा (ग): जी हाँ। माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद ने दिनांक 21.06.2019 को हुई अपनी 35वीं बैठक में यह सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण के कार्यकाल को 2 वर्ष और बढ़ा दिया जाये। इसने यह भी सिफारिश की थी कि उन कारोबारियों पर, इस प्रकार लाभ ली गयी राशि के 10% के समतुल्य दण्ड लगाया जाना चाहिए जो माल एवं सेवाओं की आपूर्ति पर की गयी कर की कटौती के लाभ या इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के अनुपात में अपनी कीमतों में कटौती नहीं करते हैं और इस प्रकार ग्राहक को उसका लाभ नहीं देते हैं।

(घ): जी हाँ। जीएसटी परिषद ने दिनांक 21.06.2019 को हुई अपनी 35वीं बैठक में यह सिफारिश की थी कि ऐसा कोई पंजीकृत व्यक्ति जो कि किसी मल्टीप्लैक्स स्क्रीन में सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स के प्रदर्शन में प्रवेश दिलाने के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहा हो, के लिए यह जरूरी है कि वह इलेक्ट्रॉनिक टिकेट जारी करे जिसे टैक्स इन्वॉइस माना जायेगा।

(ङ): जीएसटी परिषद ने 21.06.2019 को हुई अपनी 35वीं बैठक में जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण के लिए "आधार" के प्रयोग को लेकर केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 25 में संशोधन किये जाने की सिफारिश की थी। इसका उद्देश्य जीएसटी के अंतर्गत धोखाधड़ी के तरीकों जैसे कि फर्जी इन्वॉइसेस के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करना, नकली पंजीकरण आदि को रोकना है।

*****